केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.)

साक्षात्कार सूचना - अंशकालिक संविदा शिक्षक

विज्ञापन तिथि: 01/11/2022

केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.) में निम्नलिखित पदों हेतु अंशकालीन संविदा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नियुक्ति हेतु पैनल बनाया जाना है।

18 से 65 वर्ष के मध्य आयु वाले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाने में दक्ष, योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार दिनांक को विद्यालय में पंजीयन कर सीधे साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते है।

31/10/2022

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय दमोह

केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.)

साक्षात्कार सूचना-अंशकालिक संविदा शिक्षक

पंजीकरण(Registration) 05.11.2022, शनिवार (प्रातः 09.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक)

साक्षात्कार दिनांक एवं समय 05.11.2022, शनिवार (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक)

क्र.	पद	मासिक मानदेय	विषय / अनिवार्य योग्यता
1.	पी.जी.टी.(भौतिक, अर्थशास्त्र)	27,500/-	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी(50% अंकों सहित) स्नातकोत्तर डिग्री एवं एन सी टी ई (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त बी.एड. डिग्री	

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय दमोह

केन्द्रीय विद्यालय दमोह (म.प्र.)

साक्षात्कार सूचना-अंशकालिक संविदा शिक्षक

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन फार्म विद्यालय की बेबसाइट https://damoh.kvs.ac.in के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन की एक प्रति भरकर पासपोर्ट आकर का छायाचित्र लगा कर एवं अपने मूल प्रमाणपत्रों, उनकी प्रमाणित छायाप्रतियों तथा पासपोर्ट आकार के एक फोटो के साथ आवेदित पद के सम्मुख दी गयी साक्षात्कार की तिथि पर पंजीयन समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित हों।

नोट :- कृपया आवेदन न भेजे , आवेदन-पत्र भरकर साक्षात्कार तिथि पर स्वयं उपस्थित हो।

जो अभ्यर्थी एक से आधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन के साथ आवेदित पद के सम्मुख दी गयी पंजीयन तिथि पर निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित हों।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा तथापि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्बंधित विषय, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण अभिरुचि,भाषा तथा सामान्य ज्ञान से सम्बंधित प्रश्न होंगे|

विशेष

(1) साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व अन्य भत्ता देय नहीं है| साक्षात्कार में सम्मिलित होने के पूर्व अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की जाँच कर लें। (2)चयन हेतु किसी भी प्रकार की सिफारिश अथवा राजनीतिक प्रभाव के प्रयोग का प्रयास अभ्यर्थी की अयोग्यता माना जायेगा। तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। (3) मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का आधार नहीं होगा। पद रिक्त होने की दशा में ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी| (4) यह नियुक्ति एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसे आधार मानकर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। (5) केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार समय-समय पर निर्धारित एवं पुनरीक्षित मानदेय देय होगा। (6) चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय दमोह